9 अध्याय

भारत में केंद्रीय सरकार और प्रशासन (Union Government and Administration in India)

ब्रिटिश विरासत (British Legacy)

भारतीय प्रशासनिक ढाँचा प्रधानतया ब्रिटिश शासन की विरासत है। भारतीय प्रशासन के विभिन्न ढाँचागत और कार्यप्रणालीगत पक्षों जैसे सचिवालय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं, भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यालय पद्धति, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, बजट प्रणाली, लेखापरीक्षा, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन आदि की जड़ें ब्रिटिश शासन में निहित हैं।

भारत में ब्रिटिश शासन काल को दो चरणों में विभक्त कर सकते हैं–वर्ष 1858 तक का कंपनी का शासन और वर्ष 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन।

भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश-शासन की विरासत का अध्ययन तीन शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है–

1. संवैधानिक विकास
2. लोकसेवा का विकास क्रम
3. अन्य संस्थाओं का विकास

संवैधानिक विकास (Constitutional Development)

ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान में हुए परिवर्तनों (जिससे ब्रिटिश शासनकालीन भारत में प्रशासन की कार्यपद्धति और संगठन के लिए कानूनी आधार प्राप्त हुआ) की प्रमुख घटनाएँ नीचे समयानुक्रम के अनुसार दी जा रही हैं–

रेगुलेटिंग एक्ट 1773

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम था। इसके फलस्वरूप केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित तीन संदर्भों में पड़ी–

(i) इस अधिनियम ने बंगाल के गर्वनर को बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद दिया। प्रथम गवर्नर-जनरल होने का श्रेय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को मिला।

(ii) इसने बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन किया।

(iii) इसने कोलकाता में शीर्ष न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

इस अधिनियम ने भारतीय मामलों को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। ईस्ट-इंडिया कंपनी के शासी निकाय 'कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स' पर नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया जो ब्रिटिश कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करता था।

चार्टर एक्ट 1833

इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत के गवर्नर-जनरल की पदवी प्रदान की। सभी तरह की नागरिक और सैन्य शक्तियां उसे प्राप्त हुईं। बंबई और मद्रास की सरकार को अपनी विधायी शक्तियों से वंचित होना पड़ा। ब्रिटिशकालीन भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अंतिम कदम था। इस एक्ट के फलस्वरूप ही प्रथमतः भारत सरकार का आविर्भाव हुआ जिसे ब्रिटिश शासकों द्वारा अधिकृत समस्त क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त था। इसके अतिरिक्त, इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यक गतिविधियों का भी अंत हो गया।

चार्टर एक्ट 1853

इस एक्ट के परिणामस्वरूप गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों का पहली बार पृथकीकरण हुआ। इस एक्ट के फलस्वरूप ही कंपनी के लिए लोकसेवकों की भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सूत्रपात हुआ तथा डायरेक्टरों को अपनी शक्तियों से वंचित होना पड़ा।

गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1858

इस एक्ट के फलस्वरूप भारत की सरकार, क्षेत्र और राजस्व ईस्ट